

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
(भू-अर्जन निदेशालय)

पत्र सं०- 14/डी.एल.ए. /पटना, दिनांक-.....

वापसी अधिसूचना

लखीसराय जिलान्तर्गत कजरा थर्मल पावर परियोजना के निर्माण ^घ /स्थापनार्थ मौजा- विशनपुर, थाना नं०- 86 अंचल- सूर्यगढ़ा में रकवा 403.41 एकड़ भूमि अर्जन हेतु अधिनियम की धारा 4/6 के तहत अधिसूचना संख्या- 14/डी.एल.ए. ~~लखी०~~ (टी.पी.पी.) 27/11- 1212/रा०, दिनांक- 01.07.2011 तथा अधिघोषण संख्या - 14/डी.एल.ए./लखी० (टी.पी.पी.) 27/11- 1239/रा०, दिनांक- 04.07.2011 द्वारा निर्गत एवं संसूचित किया गया था।

उक्त अर्जित/अधिग्रहित भूमि में से खेसरा सं०- 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3475, 3500, 3504, 3505, 3506, 3507, 3512, 3513, 3514, 3583, 3593, 3609, 3610, 3611, 3613, 3614, 3615, 3617, 3622, 3630, 3632, 3634, कुल रकवा- 5.545 एकड़ सरकारी भूमि (डकरा नाला हेतु पम्प नहर, प्रमंडल सूर्यगढ़ा शिविर, मुंगेर) पाये जाने के कारण भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48(1) के तहत अर्जन से विमुक्त किया जाता है। शेष रकवा 397.865 एकड़ यथावत रहेगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
लखीसराय।

समाहर्ता,
लखीसराय।

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापक 2078/भू-अर्जन दिनांक-27-08-13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, बिहार-पटना को सी०डी० सहित एवं तीन प्रारूप दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

प्रतिलिपि :- उप-समाहर्ता, प्रभारी सामान्य शाखा, समाहरणालय, लखीसराय को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित गजट की पाँच प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, लखीसराय को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, लखीसराय, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
लखीसराय।

समाहर्ता,
लखीसराय।

सरकार के अवर सचिव,